न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 34/2024

वादी

1. दयालराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोनली तहसील डेह जिला नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामकरण पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी सोनेली तहसील डेह जिला नागौर,
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1- वादी संख्या 1 की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
2- प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट

: : निर्णय : : दिनांक 29.10.24

वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता पुत्र है जिनकि पुश्तैनी भूमि मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4.0469 हैक्टेयर रहती आई है। पक्षकारान ने उक्त भूमियों का जुबानी बंटवाड़ा कर लिया जो निम्नानुसार है। वादी दयालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में से रकबा 2.2420 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में से रकबा 1.8049 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से यह वाद पेश किया गया है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार डेह को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार डेह को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित न्यायालय हाजा आये। प्रतिवादी संख्या 1 कि ओर से अधिवक्ता शिव कुमार पारासर ने ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 2 को जारी सम्मन तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र दयालराम व रामकरण के प्रस्तुत किये एवं साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 मौजा ऐवाद के खाता संख्या 384 प्रदर्श–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

सहमति दौराने बहस व्यक्त की। तहसीलदार डेह को माफिक वादपत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, आदि व प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालि जवाब दावा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है वकील वादी ने वाद पत्र के पैराज में मुतदाविया खेताय की कुल भूमि मे से प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। मौजा ऐवाद के खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित किया जाकर वाद पत्र को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि में से वादी को खसरा नम्बर 553 रकबा 4.0469 में से रकबा 2.2420 हैक्टेयर भूमि का विभाजन किया है एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी, स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी दयालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4.046913 हैक्टेयर में से रकबा 2.2420 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4.046913 हैक्टेयर में से रकबा 1.8049 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि में से वादी को खसरा नम्बर 553 रकबा 4.0469 में से रकबा 2.2420 हैक्टेयर भूमि का विभाजन किया है तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

डिकी बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 34 / 2024

वादी

1. दयालराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोनली तहसील डेह जिला नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामकरण पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी सोनेली तहसील डेह जिला नागौर,
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1- वादी संख्या 1 की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
2- प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी दयालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4. 046913 हैक्टेयर में से रकबा 2.2420 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 4. 046913 हैक्टेयर में से रकबा 1.8049 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि में सें वादी को खसरा नम्बर 553 रकबा 4.0469 में से रकबा 2.2420 हैक्टेयर भूमि का विभाजन किया है तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

आ0प0 दर्ज

.../2021

15.11.21

दयालराम बनाम रामकरण वगैराह
दावा क्रमांक 34/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/83

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.10.24 को जारी किया गया

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner